भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: †2269

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य व्यवसाय संचालक के लिए लाइसेंस

† 2269. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोलकाता स्थित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विनिर्माताओं/आयातकों/निर्यातकों/एयरलाइंस/बंदरगाहों तथा रेलवे के रूप में वर्गीकृत केंद्रीय स्तर के खाद्य व्यवसाय संचालक के कितने लाइसेंस प्रदान किये गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा असुरक्षित खाद्य प्रथाओं के लिए कितनी निगरानी जाँच, छापे तथा प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई है;

(ग) उपभोक्ता जागरूकता तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 'ईट राइट इंडिया' अभियान, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण तथा भोजनालयों के लिए स्वच्छता रेटिंग सहित क्या पहलें की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में वर्तमान तिथि में स्वीकृत पदों तथा रिक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है।

एफएसएसएआई के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए केंद्रीय लाइसेंसों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	जारी किए गए केंद्रीय लाइसेंसों की संख्या
1.	2023-24	5905
2.	2024-25	7315
3.	2025-26 (31 अक्टूबर 2025 तक)	5185

उपरोक्त आंकड़ों में एयरलाइंस, बंदरगाहों और रेलवे के खानपान लाइसेंस शामिल नहीं हैं, जो संबंधित विभागों (जैसे एयरलाइंस, बंदरगाह और रेलवे खानपान सेवा) से नियुक्त नामित अधिकारियों (डीओ) द्वारा जारी किए गए थे और कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षण, निगरानी, कानूनी/प्रवर्तन नमूनों और प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	निगरानी के लिए लिए गए नमूनों की संख्या	प्रवर्तन नमूनों की संख्या	प्रवर्तन कार्रवाई	
				दर्ज किए गए अभियोग के मामले	दर्ज किए गए न्यायनिर्णय मामले
2023-24	221	1238	250	23* (21- असुरक्षित भोजन 2- बिना लाइसेंस के व्यवसाय)	48
2024-25	342	2107	649	14 (असुरक्षित भोजन)	14
2025-26 (31 अक्टूबर 2025 तक)	274	959	675	11 (असुरक्षित भोजन)	67

एफएसएसएआई के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने उपभोक्ता जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें कार्यान्वित की हैं, जिनमें ईट राइट इंडिया, बेसिक कैटरिंग और कोविड मॉड्यूल प्रशिक्षण, स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रशिक्षण और खाद्य सुरक्षा जागरूकता सत्र शामिल हैं।

एफएसएसएआई के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकृत 49 पदों में से 38 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं।

******